

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायलय का)

NIC

आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख से तक

जिला अनुमंडल :- बाढ, अंचल :- अथमलगोला का केस का प्रकार

..... 363/13-14 एवं वर्ष

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
14/08/13	<p>श्री/श्रीमति श्री चिन्ता देवी</p> <p>पिता/पति श्री राजा 6135</p> <p>ग्राम महुवा थाना अथमलगोला</p> <p>जिला पटना अंचला अथमलगोला जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/बख्शीशनामा बटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दु पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 28/08/13 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: center;">जमीन का विवरण</p> <p>ग्राम/थाना नं० अथमलगोला खाता नं० 69</p> <p>खेसरा 26 रकबा 0595.11.5.5</p>	

अंचलाधिकारी
अथमलगोला

16/09/13

27/06/12

अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र / दानपत्र / बख्शीशनामा बटवारा / विनिमय / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। विक्रेता के नाम से जमाबन्दी कायम है / नहीं है। अतः नामान्तरण स्वीकृत के पूर्व आपति आमंत्रण हेतु क्रेता विक्रेता एवं आम महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 29/06/12 को उपस्थापित करें।

[Signature]
अंचलाधिकारी

अथमलगोला

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त

29/06/12

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपति नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक 13/07/12 को उपस्थापित करें। यह अवबतारे मूल प्रस्ताव पर ही है।
अभिलेख दिनांक 19/06/12 को उपस्थापित करें।

[Signature]
अंचलाधिकारी

अथमलगोला

19/06/12

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व वसूली के हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की स्वीकृति दी जाती है।
शुद्धी पत्र निर्गत करें।

[Signature]
अंचलाधिकारी

अथमलगोला

अंचलाधिकारी

अथमलगोला